


FORM NO.III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

उपखण्ड अधिकारी मुकाम चित्तौड़गढ़ (राज.)
फन्हैयालाल बनाम श्रीतरनिहं

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 158/2024

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
29/04/24	<p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>प्रार्थी श्री / श्रीमती <u>फन्हैयालाल</u></p> <p>पिता श्री <u>छगनजी गुजर</u></p> <p>निवासी- <u>धोरडिया कौरह (12)</u> तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम <u>धोरडिया (प.ह. नगरी)</u> स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर <u>1957 1959</u> <u>1960 1964 1965 1966</u> <u>0.50 0.49 0.43 0.13</u></p> <p>कुल कीता <u>0.6</u> कुल रकबा <u>2.4400</u> है0 की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।</p> <p>अतः प्रार्थी की ग्राम <u>धोरडिया (प.ह. नगरी तह. बस्ती)</u> स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर <u>1957 1959 1960 1964 1965 1966</u> <u>0.39 0.95 0.05 0.49 0.43 0.13</u></p> <p>कुल कीता <u>0.6</u> रकबा <u>2.4400</u> है0 की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते है। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क <u>15000 = 100</u> रूपये अक्षरे <u>एक हजार पांच सौ रूपये</u> प्रार्थी से वसुल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"> (वीनू देवल) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)</p>